न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 20 / 2020

अनवान

1. कैलाशचन्द्र आत्मज श्री रूपलाल निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
2. जगदीशचन्द्र आत्मज श्री रूपलाल निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
3. ज्यानीदेवी आत्मजा श्री रूपलाल निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
4. दुर्गाशंकर आत्मज श्री रूपलाल निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
5. बंशीलाल आत्मज श्री रूपलाल निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
6. बाली आत्मज श्री गंभरी निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
7. लादुलाल आत्मज श्री गंभीर निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
8. शंकरलाल आत्मज श्री गंभीर निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
9. कलावतीदेवी पुत्र श्री मोहनलाल निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
10. कैलाश पुत्र श्री मोहनलाल निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
11. किशनलाल पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
12. गंगादेवी पुत्री श्री मोहनलाल निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
13. गजानन्द पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
14. गंभीर पुत्र श्री नारायण निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
15. चान्दी श्री मिट्ठूलाल निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
16. चान्दी पत्नी श्री बरदा निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
17. नानीदेवी पत्नी श्री शंकरलाल निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
18. भंवरलाल पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
19. मोहनबाई पत्नी स्व. श्री मोहनलाल निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
20. राजूदेवी पुत्री मोहनलाल निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
21. राधादेवी पत्नी श्री देवीलाल निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
22. रामकन्या पुत्री श्री मिठूलाल निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
23. रामचन्द्र पुत्र बरदा निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
24. रामलाल पुत्र श्री हजारीलाल निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
25. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री हजारीलाल निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
26. शम्भूलाल पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
27. शम्भूलाल पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
28. श्यामलाल पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
29. संजय पुत्र श्री देवीलाल निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
30. सीमा पुत्री श्री देवीलाल निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद तह–हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकर पुत्र श्री नारायण गाडरी निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
2. पोखर पुत्र श्री इन्द्रमल ब्राहम्ण निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
3. कन्हैयालाल पुत्र श्री नारायणलाल शर्मा निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
4. मांगीलाल पुत्र श्री भैरू धोबी निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
5. रामेश्वरलाल पुत्र श्री रामचन्द्र धोबी निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
6. मांगीलाल पुत्र श्री लक्ष्मण बलाई निवासी आमली पटवार हल्का बरडौद।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

–अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.09.10 15:58:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 31-08-2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूँ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 13.02.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम आमली पटवार हल्का बरडौद भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बरडौद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 154 की कृषि भूमि की आ.न. 1363,1364,1365,1366,1369,1370,1373,1374 ,198, 199 ,200,205,214,215 कुल किता 14 कुल रकबा 4.7168 है0 खाता संख्या 275 की आराजी संख्या 201,202,203,210 कुल किता 04 कुल रकबा 0.6449 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.02.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 06 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम आमली पटवार हल्का बरडौद भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बरडौद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 154 की कृषि भूमि की आ.न. 1363,1364,1365,1366,1369,1370,1373,1374 ,198, 199 ,200,205,214,215 कुल किता 14 कुल रकबा 4.7168 है0 खाता संख्या 275 की आराजी संख्या 201,202,203,210 कुल किता 04 कुल रकबा 0.6449 है0 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 1400/—पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 31/08/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.09.10 15:58:39 IST
Reason: SelfAttested